देवबणी री बात

कृपाविस का सामुदायिक जंगल 'देवबणी/ओरण' संरक्षण अभियान

अंक 15

जनवरी 2010

राजस्थान राज्य वन नीति 2009: ओरण/ देवबणी की स्वीकारोक्ति

राजस्थान राज्य वन नीति 2009 प्रारूप, जो राजस्थान के वन प्रबन्धन को लेकर फिलहाल में बनी है। उसमें ओरण / देवबणी विषय को भी महत्व दिया गया है। जिसके लिए 'कृषि एवं पारिस्थितकी विकास संस्थान' (कृपाविस) लम्बे समय से पैरवी करता रहा है। इस नीति दस्तावेज में लिखित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि वनस्पति और राज्य के वनों की दुर्लभ और विलुप्त प्राय: प्रजाति के संरक्षण और जैव विविधता के प्रबन्धन हेतु ओरण, झीलें, चारागाह आदि का विकास हो।

वन नीति की धारा 5.10 पूरी तरह से ओरण देवबणी पर केंद्रित है। जिसके अन्तर्गत उपधारा 5.10.1 में ओरण/ देवबणी को अच्छा जंगल और समृद्ध जैव–विविधता के खजाना कहा गया है। ओरण देवबणी स्थानीय समुदायों के धार्मिक मान्यता तथा संरक्षण के बीच तालमेल का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। अत: ओरण/ देवबणी के समुचित विकास के लिए आवश्यक वित्तीय तथा कानून सहायता प्रदान करने का प्रावधान इस नीति में रखा गया है।

उपधारा 5.10.2 के अन्तर्गत स्थानीय गैर सरकारी संगठनों तथा धार्मिक ट्रस्टों के सहयोग से ओरण/ देवबणियों का जिलावार सूची, डेटा बेस, तैयार करने हेतु बल दिया गया है। हालांकि इन क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रावधान के अनुसार 'डीम्ड फोरेस्ट'

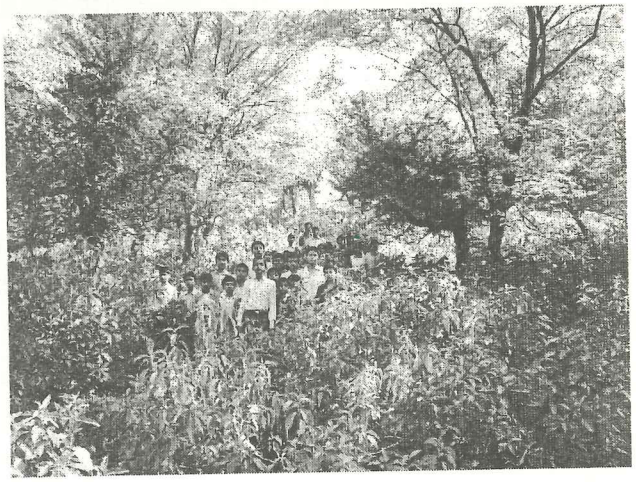

समझा गया है। जो वन समुदाय की स्वामित्व भावना और पारम्परिक संरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। उपधारा 5.10.3 के अनुसार इन ओरण/ देवबणियों प्रबन्धन लोगों तथा मन्दिर के न्यासियों की समितियाँ गठित की जा सकती हैं, जिन्हें ओरण/ देवबणी संरक्षण करने वाली शक्तियाँ प्रदान होगी। यह समुदायों की सहभागिता और अधिकारों को बढावा देने के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है।

उपधारा 5.4.9 के बारे में गोचर भूमि का जिक्र किया गया है। बहुत सारे ओरण/ देवबणी तो गोचर भूमि मलकियत के अधीन भी हैं। उपधारा में कहा गया है कि राज्य में 10,000 पंचायतें हैं। जिसके अधीन कोई न कोई गोचर भूमि है। इन गोचर भूमियों पर सिल्वी पेचर मॉडल समुदायों की सक्रिय भागीदारी से तैयार किया जायेगा।

यह वन नीति पर्यावरणीय स्थिति और पारिस्थितिकी सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य को तो पूरा करती हुई प्रतीत होती है तथा एक अच्छा दस्तावेज भी है। लेकिन यह समुदायों की असली सहभागिता और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू हो तो ही सार्थक है और देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल वानिकी नीति हो सकती है। इस नीति के क्रियान्वयन के दोरान समुदायों को अपने अधिकारों व कर्त्वय हेतु सचेत रहना होगा।

KRAPAVIS

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस)

कृपाविस बणी, गांव-बख्तपुरा

पो० सिलीसेढ़, जिला अलवर-301001 (राज.)

ई-मेल:krapavis_oran@rediffmail.com

सम्पादन : अमनसिंह व प्रतिभा सिसोदिया

रईका गाँव– जहाँ जंगल संरक्षण व चराई की सुदृढ़ पारम्परिक व्यवस्था

रईका एक छोटा सा गाँव है जो सरिस्का वन्य अभ्यारण्य के वन क्षेत्र कोर नं. 3 में बसा है। यह अलवर जिले की माधोगढ ग्राम पंचायत की उमरैण पंचायत समिति में स्थित है। यहां पर गरवा जी नामक देवबणी है। इसमें लोक देवता गरवा जी का मन्दिर बना हुआ है ऐसा मानते है कि संत महापुरूष गरवा जी ने यहाँ तपस्या की थी तथा इसकी तपस्या स्थली के पास गुलर का पेड है जिसकी जडों से पानी बहता है। वह अविरत बह रहा है।

इस देवबणी व आस–पास जंगल पर रईका गांव के लोग पशुपालन कर गुजारा करते है। रईका गांव का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही है। रईका गांव में कुल परिवारों की संख्या 30 तथा जनसंख्या 211 है। इस गाँव में केवल गुर्जर जाति के ही लोग रहते है। इस गाँव में पशुओं की संख्या 1100 के लगभग है जिसमें भैंस 480, बकरी 550, गाय 70 है तथा 2 ऊँट है। इनको यहां पर्याप्त चारा मिल जाता है। यहाँ के लोग वर्षा ऋतु में पशुओं को नीचे घर पर ही चराते है तथा शरद ऋतु में देवबणी में।

जब देवबणी में घास पक जाती है तथा दिपावली के बाद हरा चारा समाप्त हो जाता है। बाद में पके हुए घास घर लाकर इकट्ठा कर देते है तथा जब जंगल में चारा समाप्त हो जाता है तब पशुओं उस चारे को खिलाय जाता है। झडी हुई पेड की पत्तियों को बकरियाँ खाती है तो उसको गांव की भाषा में 'भूरा' कहा जाता है।

गरवा जी की देवबणी में लगभग 80,000 पेड है जिनमें से 50 प्रतिशत धोक के पेड है तथा 20000 सालर, 5000 रोंज, 1500 पापड, 3000 बेहडी, 500 काला खैर, 2000 छिला, 20 आम, 2 जामुन, 10 गुलर, 5 बड, 20 पीपल, 4अमरूद,10 नीम 50 शीशम, 50 आंवला तथा अनगिनत गजिडा, लम्बान झाल, चापुन, झींजा, कैर, पहले कई पेड़ कल्प वृक्ष के भी थे। इस देवबनी के तीन बीघा के क्षेत्र में बांस ही बांस है।

मान्यता है कि गरवाजी की देवबणी में जो कोई भी पेड़ो को नुकसान पहुंचाता है अर्थात पेड़ काटता है उसके ऊपर मधु मक्खियों के छत्ते आ गिरते है और उनको ढंक मारने लगते है यदि वह माफी नहीं मांगे तो नही छोडती है। उदाहरणार्थ एक बार गरवा जी बाबा के मेले में यह मेला भादवा महिने की कृष्ण पक्ष की दोज के दिन भरता है। यहां एक गरवा बाबा का चबूतरा है चबूतरे का उसके भक्तों के अलावा कोई नहीं चढता है। तो उस चबूतरे पर रामलाल नाई अकबरपुर निवासी चढ गया तो गरवा बाबा को नाराज होते ही मधुमक्खियों का छत्ता उस पर आ गिरा और पूरे मेले में तबाही मच गई। इस अद्‌भुत चमत्कार को देखकर लोग चकित रह गये और नाई से बोलें कि तू माफी मांग ले उसक माफी मांगते ही सब मक्खियां शांत हो गई इसके बाद में यहां पर किसी ने भी ऐसी गलती नहीं की।

प्राचीन समय में गरवा बाबा की पूजा एक गरीब दास नाम का संत करता था। जिसके पैरो को शेर कई बार आकर चाटता था। यह दृश्य रईका निवासी कई बुजुर्गों ने देखा था। वर्तमान में गरवा जी की बनी में संत बलबीर दास जी का आश्रम है। ये करीब 90 साल के है। इस बणी की सुरक्षा इन्हीं के पीछे है क्योंकि ये वहां की निगरानी प्रतिदिन करते है। वहां पर प्रतिदिन 40 किलो अनाज चुग्गा के रूप में जानवरों को डालते है। इस देवबनी में जंगली जानवरों की संख्या भी काफी है। जिनमें सांभर, नीलगाय, रोजड़ा, लंगूर, मोर, बन्दर, सूअर, बिज्जू, जरख, चीजे आदि जानवर है तथा इस के अलावा जंगली बिल्ली, सियार, लोमडी, नेवला, अजगर, आदि जानवर पाये जाते है। जीव जन्तु प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग है। इसका संरक्षण करना हमारा परम कर्त्तव्य है।

इस बणी में गरवा बाबा की कृपा से पानी का झरना

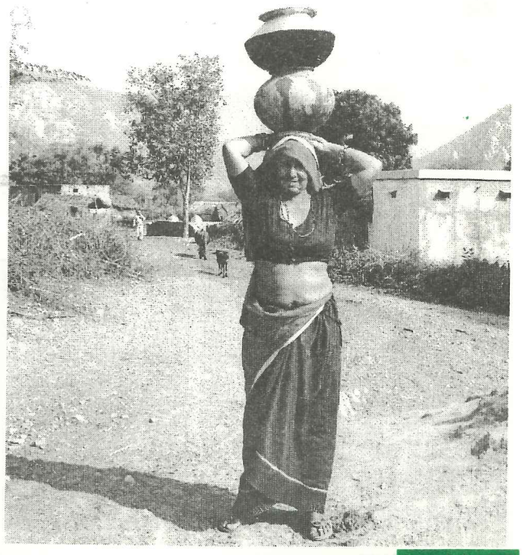

बहता है। जिससे यहाँ के जानवर चारा खाकर पानी पीते है और अपना पालन–पोषण करते है। जानवरों का संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूण है। क्योंकि अगर जानवर की किसी भी जाति लुप्त हो जाएगी तो हमारा प्राकृतिक सन्तुलन बिगड जाएगा। अर्थात् खाद्य श्रृंखला तथा उसके सदस्यों को प्राकृतिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण स्थान है जैसे सरिस्का में कुछ दिनों पहले बाघ समाप्त हो गये थे। ऐसी स्थिति में असंतुलन हो जाएगा शाकाहारी एवं मांसाहारी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते है। जब सरिस्का क्षेत्र में बाघ नहीं रहेंगे तो हमारे वातावरण में हमें अनेक समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिससे बहुत से जानवर जन्मजात तथा अन्य रोगों से पीड़ित जैसे लंगडे लूले को बाघ आसानी से खा जाता था तथा ऐसे जानवर पहले दिखाई नहीं देते थे तथा अब कुछ देखने को मिले है। दूसरा यह असर पडेगा कि इनकी संख्या अधिक जायेगी जिससे ग्रामीण लोग पशुओं पर आधारित होते है। अनेक पशुओं के लिए चारे का अभाव तथा उसके फैलने पर रोग पशुओं में भी फैलेगा इस प्रकार देवबणियों के तहत समझाया जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला हमारे पर्यावरण से गुथी हुई है।

हमें जानवरों की सुरक्षा भी बनाई रखनी चाहिए। जिसमें बताया गया है कि इससे बचने के लिए गांव–गांव और ढाणी ढाणी में अनेक देवबणी स्थापित करे जिसमें वन्य जीव सुरक्षित रहे और उनके साथ–साथ पेड–पौधों की भी सुरक्षा रहती है तथा हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाता है। बुजुर्गो की एक कहावत है – ''आम के आम गुठलियों के दाम" अर्थात् जानवरों को भी सुरक्षा और साथ में चारा मिल जाएगा पेड पौधें हमारी अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे वर्षा को भी आकर्षित करते है। हम प्रत्यक्ष में देखते है। अधिकतर देवबणी में ही वर्षा अधिक होती है। यह देखकर पेडों से वर्षा का आत्मविश्वास बढ़ता है।

रईका गांव में एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्न है– सीताराम गुर्जर, रामसिंह गुर्जर, दुल्ला राम, पप्पु राम, कल्लूराम, रतिराम, मुखराम आदि इन लोगों ने समिति के नियम बनाये है कि हर महिने गांव में बैठक की जाये और उसमें यह निर्णय किया जाए कि जो व्यक्ति चोरी छिपे पेडों को काटता है। उसे आवश्यक रूप से दण्ड देना हैं दण्ड का प्रावधान इस प्रकार से है: पहली बार पकडे जाने पर 251 रूपये तथा वही आदमी दूसरी बार पकडे जाने पर 500 रूपये तथा तीसरी बार पकडे जाने पर 1100 रूपये जुर्माना अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसे तीन माह की कैद या अन्य जुर्माना समिति की तरफ दिया जाता है। तथा इन रूपये को इकट्ठा करके किसी सार्वजनिक कार्य में लगाते हैं।

हमारी देवबनी में बिल्कुल भी पेड़ नहीं काटे जाते है। तथा बाकी जंगल में भी यही नियम है। किसी को चारे की जरूरत है तो जंगल से लाकर घर पर खिला सकते है। हमारे गांव में पेडों को सही ढंग से काटा जाता है। हमारी समिति के सदस्यों से बातचीत की तो उन्होनें बताया कि जैसे हम हिन्दू लोग सिर के बाल भी काटते है कुछ बाल रखकर एक चुटटी सिर पर रखते है इसी प्रकार जब पेड की कटाई करते है तो उसकी चुटटी जरूर रखते है इसी प्रकार पेड़ को भी सम्पूर्ण व गलत तरीके से काटना हमारा धर्म नहीं कहता है। इस प्रकार जब पेड कटाई करते है तब उसके ऊपर दो चार टहनी जरूर छोड देते है। इस प्रकार एक कहावत है कि 'साँप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे' पेड़ को भी क्षति नहीं पहुँचे और हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाये। पेड़ो को आवश्यकता अनुसार ही काटते है।

पेड़ हमारे बहुत काम आते है जैसे बाँस की लकडी को हम घरों की छान में लगाते है तथा छिला के पत्ते द्वारा उसे ऊपर से दबाते है। इसी प्रकार धोंक से चारपाई की लकडी आदि की लकडी मिल जाती है। इनकी टहनियो से हम खेतो की सुरक्षा के लिए बाड भी करते है। और उनकी यह विशेषता भी है जैसे छिले की छाल ठण्डी रहती है। धौंक की लकडी मजबूत व अधिक दिनों तक चलने वाली होती है तथा और पेड है जैसे कैर जिसमें एक टीट नामक फल आता है। जिसका स्वादिष्ट आचार या सब्जि बनती है। तथा इसके सुखने के बाद पीसकर रखा जाता है। यदि किसी जानवर के पेट मे दर्द होता है तो इसको देते ही तुरन्त राहत मिलती है। बेयडी नामक वृक्ष से स्वादिष्ट बेर प्राप्त होते हैं। जो बाजारों में भी बिकते है। तथा छिला से गोंद प्राप्त होता है। जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। रईका गांव का मुख्य व्यवसाय पशु पालन है। हमारे गांव में रहने वाले पशु जो देवबणी पर निर्भर है। पशुपालन में दूध के अलावा हमें खाद मिलता है जो हमारे खतों में पर उनकी उर्वरक क्षमता को प्रोत्साहन देता है। पशुओं से दूध निकाल कर बेचते है। जो पीढ़ियों से अपना व्यवसाय कर रहे और करते आ रहे है। गॉव के कई व्यक्ति मावा निकालने का काम करते है वे पशु पालकों से खरीद कर घर पर ही मावा निकालते है। और दूर शहर ले जाकर अच्छे दामों पर बेचते है और अपना जीवन यापन कर रहे है। रईका गॉव की खास बात यह है कि यहॉ कोई भी व्यक्ति दारू नहीं पीता है।

इस गॉव में थोड़ी खेती की जमीन भी है। खेती बरसात के समय करते है क्योंकि इस गॉव में पानी की बहुत समस्या है इसमें एक जोहड व कुंआ है जो वन विभाग में आता है कुंआ की मरम्मत नहीं कराने देते है इसलिए इन्हें बरसात के समय तो पानी पर्याप्त मिल जाता है लेकिन बाकी समय तो इन्हें पानी की समस्या रहती है। जंगली सूअर भी फसलों को नुकसान करते हैं। इस कारण फसल करना ही बन्द कर दिया।

रईका गॉव वालों ने अपने जंगल बचाने के नियम बना रखे है। गॉव वालों ने एक समिति बना रखी है जिसमें कुछ नियम है जो इस प्रकार है– जंगल में कोई भी टांचा लेकर नहीं जायेगा। और कोई पेड नहीं काटेगा। जो कोई भी इन नियमों को नहीं मानता उन पर 500 रूपयें का जुर्माना करना पडेगा वह नहीं मानता है तो उसे दूसरी बार भी 500 रूपये और तीसरी बार उस पर 1100 रूपये दण्ड के रूप में दिया जाता है। इन कारण इनका जंगल भी अच्छी तरह बच जाता है।

इस गॉव में पशुओं के लिए घास के काटने के लिए पहाडो पर दडे बना रखे है। इन दडों का नाम द्वारा व्यक्तियों को दिया जाता है जैसे– रामजस का मसेडा दडा, नन्दराम का कुवाली दडा, फूलसिंह का खानेवाल दडा और पाच्याराम का बडेयाकी वाला दडा इस प्रकार दडे बाट रखे है और पशुओं के लिए घास काट कर लाते हैं और फिर उसे चराते है। अलवर महाराजा जयसिंह के समय इन गॉव को एक जंगल से दूसरे जंगल में दूसरी जगह शिफ्ट करता रहता था। जिसके कारण जंगल भी बचते थे और दूसरी जगह घास अच्छी मिलती थी।

(यह आलेख रईका गॉव के गोविन्द सिंह गुर्जर, दाताराम गुर्जर, शिवराम गुर्जर, विक्रम सिंह गुर्जर तथा तारासिंह चौधरी ने तैयार किया है)

सिद्धका देबवणी का पुनरोत्थान

सिद्ध महाराज की देवबणी जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के पांचूडाला गाँव की जाटक्या की ढाणी में स्थित है। इस स्थान को 700–800 साल पुराना बताया जाता है। इस देवबणी में कोई नुकसान करता है। सिद्ध महाराज की देवबणी का कुल क्षेत्रफल 500 बीघा है इसमे हनुमान जी व भैरू बाबा का मन्दिर भी है। मन्दिर के पुजारी श्री लखाराम गुर्जर ने बताया कि पहले इस देवबणी में साधु बाबा ने आकर तपस्या की थी और सिद्धि प्राप्त की थी उनके पास एक शिष्य आया और कहने लगा कि बाबा मुझको आप अपना शिष्य बना लिजिए तो साधु बाबा ने कहा कि मैं शिष्य तो बना लूगा परन्तु तुमकों मेरी अज्ञा का पालन करना होगा तो फिर शिष्य ने कहा कि यह मन्दिर मेरे नाम करना होगा इस पर साधु बाबा ने मना कर दिया और दोनो के बीच झगडा शुरू होगा।

सिद्ध महाराज की देवबणी में एक पानी का कुण्डा है जिसका पानी कभी–भी नही सुखता है। इस देवबणी में एक बड का पेड़ है जिसकी जड़ो में से निरन्तर पानी बह रहा है इस देवबणी में श्री श्री 1008 श्री रामलखन दास महाराज व श्री मुनिदास जी की समाधी बनी हुई है श्री रामलखन दास महाराज श्री मुनिदास जी के गुरू थे।

इस देवबणी में लगभग 1000 पेड–पौधे है जिनमें धौंक, छीला, पापडी, गोलर, पीपल, नीम, बड, बेयडी, शालर, कदम, गगीरण, खैरी, डासरी, धपण, बांस, बबूल, देशी अकोडा, नागफणी आदि पेड़–पौधे बहुत संस्था में है। अगर सिद्ध महाराज की देवबणी को कोई नुकसान करता है तो सिद्ध महाराज तुरन्त पर्चा देते हैं। इसके बाद गाँव वालो ने एक मिटिंग की और निर्णय लिया की आज के बाद इस देवबणी मे से कोई भी लकडी नही काटेगा। सिद्ध महाराज की देवबणी मे जो कुण्ड है उसमे से गाँव वाले अपनी फसल में पानी देते है। और अपनी भैस, बकरियों को पानी पिलाते है। इस देवबणी के संरक्षण के लिए गाँव वालो ने एक वन समिति का निर्माण किया गया है।

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस) ने सिद्ध महाराज की देवबणी में पुनरोत्थान के कार्यो में गॉव को सहयोग किया। पक्का एनिकट, ल्यूज बोल्डर चैकडैम व कुण्डे की मरम्मत कृपाविस के कार्यकर्ता कमल मीणा व राजेन्द्र गहलोत की देखरेख में करवाया गया।

कृषि वानिकी एवं स्वयं सहायता समूह पर प्रशिक्षण कार्यशाला

कृपाविस द्वारा 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2009, को, 'कृषि वानिकी तथा स्वयं समुह' विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कृपाविस प्रशिक्षण केन्द्र बख्तपुरा में हुआ। इस कार्यशाला में विभिन्न गांवों से 36 सम्भागियों एवं सहायता समूहों की महिला व पुरूषों ने भाग लिया इस प्रशिक्षण में ट्री फोर फ्यूचर संस्थान के विषय विशेषज्ञ श्री गौरव तथा सुश्री जोकी तथा कृपाविस के श्री अमन सिंह थे। कार्यशाला का संचालन श्रीमती प्रतिभा सिसोदिया ने किया।

इस कार्यशाला में निम्न बिन्दुओं पर जानकारी दी गयी:

- टिकाऊ कृषि
- वृक्ष, वृक्षारोपण पद्धतियाँ तथा नर्सरी उगाना
- कृषि वानिकी की विभिन्न तकनीके
- मुख्य कृषि वानिकी प्रजातियाँ
- स्वयं सहायता मण्डल व उसकी कृषि वानिकी में भूमिका
- कृषि वानिकी हेतु ओरण/ देवबनी समझने हेतु नजदीकी ओरणों का एक्सपोजर विजिट

जंगल संरक्षण व चरवाहा समुदाय

वन क्षेत्र सरिस्का के कोर 3 में स्थिर अथवा निर्भर 40 गांवों में चरवाहा समुदाय व कृपाविस द्वारा बैठक आयोजित की गयी। ये सभी गाँव जंगल पर अपना जीवन यापन करते है और पूरी तरह पशुपालन पर आधारित है। गांव वालों का कहना है कि पहले इन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नही थी लेकिन आज वन विभाग वालें इन्हें तंग करते है। पशुओं को जंगल में नही चरने देते है। पशुओं का गोबर खाद को बेचने नही देते है। मकान नहीं बनाने देते है, जो कुएं खराब पडे है उन्हें सही नहीं कराने देते

हैं। हैण्डपम्पों को सही नही कराने देते हैं। बिजली की व्यवस्था नही करने देते है। सड़क नही बनाने देते है। एनिकट का गहरीकरण व खुदाई नहीं करने देते है। पत्थर, बजरी व सुखी लकडियों को नही लाने देते है। इस सब के बावजूद भी लोग जंगल को बचाने के लिए निम्न प्रयास कर रहे है–

1– जंगल बचाव के लिए– गांव वालों ने 10–12 सदस्यों की समिति तैयार की है जिसमें जंगल को नहीं काटने देंगे और गांव–गांव जाकर जंगल बचाव अभियान चलायेंगे। जिसमें जंगल काटने से होने वाली हानियों को बतायेंगे अगर लोग फिर भी नहीं माने तो उनके ऊपर निर्धारित दण्ड देंगे। संगठन बनाने के आस–पास के गांवों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सबकी सहमति से पशुओं को चराने का तरीका।

2– जंगल को आने वाली पीढी से सुरक्षा– आने वाली पीढी को समझायेंगे कि हमें जंगल बचाने से हमें क्या–क्या लाभ होता है। इसमें जंगल भी घना गहरा रहेगा और पशुओं के लिए चारा भी मिलगा जिससे उनका जीवन यापन जो पशुपालन पर चलता है, वह अच्छा रहेगा।

3– पशु जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना– जहाँ पर देशी नस्ल के पशु अधिक है, उन्हें धीरे–धीरे कम करते जाना और अच्छी नस्ल के पशु रखना शुरू कर दिया है। जिससे उत्पादन स्तर भी बढेगा और पशुओं की संख्या भी कम होगी इससे पशुओं को चारा अच्छा मिलेगा और जंगल भी सुरक्षित रहेंगे और उन्हें कम चारे की आवश्यकता पडेगी।

अन्य सक्षिप्त समाचार पेज 6 पर भी दिये गये हैं.....

आपके पत्र

शुभू पटवा
स्वतंत्र पत्रकार
भीनासर 334403 बीकानेर राज०

(आपके दिनांक: 4 नवम्बर, 2009 तथा 13.12.09 के पत्रो के अंश)

प्रिय अमन,

अलवर में दो ओरण/देवबणी स्थल देखने तथा हमारे केन्द्र पर ग्रामीणजनों से बात करने से मैं यह समझ सका कि आप व आपकी टीम पूरे समर्पण के साथ काम मे जुटे हैं। काम के नतीजों से यह अनुमान भी लगा सका कि वे आकारथ नहीं है। मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि ऐसा समय शीघ्र आए जब उन स्थानों से हम अपने को विलग कर लें और स्थानीय ग्रामजन सभी उत्तरदायित्व स्वयं सम्हाले। साथ ही एक उत्प्रेरक के रूप में हम सदा उनकी आँखो के सामने भी रहें। यह विश्वास उन क्षेत्रों वहाँ के ग्रामजनों में बन जाए।

आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा और अन्दर ही अन्दर प्रसन्न होता रहा। News Letter देवबणी री बात काफी समय से नही मिला। इस पर बात करनी चाहिए हमें। यह नियमित हो और इसके आकार व प्राकल्प को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यह सोचना चाहिए।

शुभू पटवा

Dear Neemaji,
(Email cced to KRAPAVIS)
1/9/09
Greeting from Seva Mandir,

Trust all is well with you. Please accept our thanks for organization to be part of this esteemed network being formed on the issues of conservation and biodivrsity. It is also nice to know that it is being organized at KRAPAVIS Alwar that is the seat of Orans (traditional sacred groves).

Vivek vyas
Development professional
Seva Mandir
Udaipur (Rajasthan)

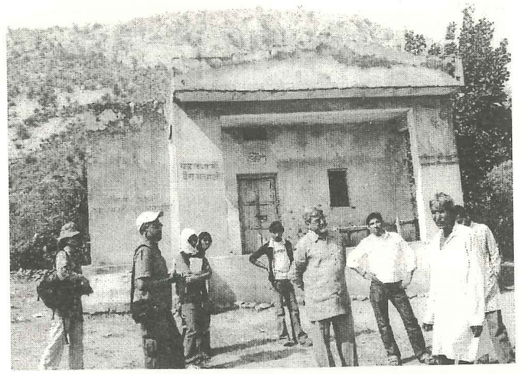

9 दिसम्बर 2009

श्रीमती अंजनी रस्तोगी
अध्यक्ष
अरपिन्द महिला विकास क्लब समिति
मधइ चौक, बदॉयू, उत्तर प्रदेश,
पिनः 24360

आदरणीय मान्यवर महोदय,
सप्रेम नमस्ते!

नव–वर्ष पर हार्दिक बधाई। उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ग्रामीणीय क्षेत्र में ''जैविक खेती'' पर कार्य कर रही हूँ। कृपाविस संस्थान को ''देवबणी री बात'' भेजने की कृपा करे। जैविक खेती प्रोग्राम से जोड़, योग सेवा सूचित करे।

धन्यवाद। भवदीया

अंजनी

.....अन्य संक्षिप्त समाचार

1–4 अक्टूबर 2009 को पूना में एक्सपोजर विजिट हुआ जिसमें आंतरा पूना, आंथरा हैदराबाद, एल.पी., पी.एस. पाली, कृपाविस अलवर आदि संस्थाओं ने भाग लिया जिसमें चरवाहा समुदायों पर आश्रित पशुपालकों व संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने चरवाहा आधारित अभियान से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

दिनांक 4–5 सितम्बर तथा 25–26 सितम्बर 2009 को विकास अध्ययन संस्थान के डॉ0 पुरनेन्दू कावूरी तथा कृपाविस टीम ने कैरवावाल ग्राम पंचायत जिला–अलवर का अध्ययन किया जिसका मुख्य उद्देश्य नरेगा कार्य में प्राकृतिक/ पारिस्थितिकी विकास सम्बन्धित कार्य की संभावनाएं कार्य की सम्भावनाएं खोजना व उस हेतु कार्य योजना बनाना था।

नरेगा कार्य में प्राकृतिक/पारिस्थितिकी विकास सम्बन्धित कार्यो की सम्भावनाएँ

''कृपाविस'' पंचायत द्वारा विकास अध्ययन संस्थान के सहयोग से कैरवावाल ग्राम पंचायत जिला–अलवर का अध्ययन किया जा रहा है जिसका मुख्य उददेश्य नरेगा कार्य में प्राकृतिक/पारिस्थिति की विकास सम्बन्धित कार्यो की सम्भावनाएँ खोजना व उस हेतु कार्य योजना बनाना है। कैरवावाल में बैठकें हुई जिसमें सरपंच, पंच व गाँव के मुखियाओं ने भाग लिया व साईट विजिट किये। सर्वे आदि आधार पर निम्न बिन्दु उभर कर आये:

1. तुलसीनाथ वाला तालाब आंगौर सुधार कार्यक्रम–तुलसीनाथ वाले तालाब में जो बरसात का पानी डूंगरी से इधर–उधर व्यर्थ निकला जाता है उसे तालाब में लाने की जरूरत है लेकिन तलहटी में रोड़ी कंकड़ और पत्थर होने से परेशानी हो रही है। गाँव वालो ने बताया कि यदि नरेगा का काम इस ओर चले तो यह काम सम्भव है। उन्होने बताया कि 3–4 फीट की गहराई तक रोड़ी पत्थर हैं उसके नीचे कच्ची जमीन है । जिसकी खुदाई सम्भव है। डूंगरी पर 2–3 जगह लूज चैक डैम बनाये जिससे कि पानी इकटठा होकर ज्यादातर एक जगह आये और वहाँ पर मजबूत पाल बनाकर और नाले के द्वारा तालाब में लाया जा सकता है। जिससे मवेशियों खेती और जल स्तर को फायदा मिलेगा।

2. कागलपुर ढाणी के किसानों की भूमि जो सूखड़ी नदी क्षेत्र में आती है उसके समतलीकरण–कैरवावाल की कागलपुर ढाणी स्थित करीब 25–30 बीघा जमीन उबड़ खाबड़ नड़े–नाकड़े के रूप में बेकार पड़ी है। जहाँ पर पूले खड़े है और आवारा पशु घुमते रहते है जो कि आस पास फसलों को नुकसान पहुंचाते है इस जमीन पर खेती हो सके और किसानों को लाभ मिल सकें। यदि ग्राम पंचायत ध्यान दें तो ये काम नरेगा स्कीम के अन्तर्गत आराम से हों सकता है क्योकिं यह जमीन जाटव परिवारों की हैं। नरेगा प्रवधान के अनुसार एस.सी. की जमीन का समतलीकरण हो सकता है।

3. कैरवाड़ी डूंगरी पर बरसने वाले पानी को जोहड़ी में लाने का पुन– प्रबन्धन पंचायत की कैरवाड़ी डूंगरी पर बरसने वाला पानी गाँव के घरों में घुसता है और व्यर्थ इधर–उधर इकटठा होता है। गाँव वालों ने बताया कि डूंगरी की तलहटी के सहारे–सहारे खाड़ी खोदकर लावें और सड़क को काट कर उसमें सीमेंट के बडे पाईप लगाकर बरसात का पानी जो डूंगरी से नीचे आता है। उसे जोहड़ी में लाया जा सकता है। जिससे आस पास के

सुखे पड़े कुओं के जल स्तर पर भी फायदा होगा ओर मवेशीयों और खेती को भी लाभ मिलेगा।

4. कैरवाड़ी में भतृहरी देवबणी का पुनः विकास–भूतर्हरी देवबणी का ध्यान कैरवाड़ी निवासी अच्छी तरह रखते हैं और पेड़ काटने वाले पर 1100 रूपये जुर्माना करते है लेकिन गाँव वालो का मानना है कि देवबणी का विकास अच्छी तरह से किया जाये। अच्छी किस्म की घास उपलब्ध कराई जाय जिससे की पशुओं के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो जाय। और उन्नत किस्म के पौधे लगवाये जावे जोकि कम पानी में अपना गुजारा कर सके और किसानों को सुखी लकड़ियाँ भी उपलब्ध हो जाये। जिससे की वातावरण भी सुहावना रहेगा।

5. माला हिल टौप वाटर शैड़ प्रबन्धन–कैरवावाल स्थित डूंगरी में ऊपर बनी जोहड़ी को नरेगा के कार्य क्रम के अन्तर्गत लोग उस जोहड़ी को गहरा और चौड़ा करवाना चाहते है। क्योंकि इस जोहड़ी में आस–पास के गाँवो के सैंकड़ो मवेशी और जंगली जानवर पानी पीते है। इसलिए गाँव वाले इस जोहड़ी की खुदाई करवाना चाहते है जिससे कि वातावरण और हरियाली पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आस–पास के किसानों और मवेशियों को पूरा लाभ मिलेगा।

अभी अध्ययन चल रहा है जिसके आधार पर कैरवावाल पंचायत के लिए नरेगा के अन्तर्गत कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस हेतु यहाँ की ग्राम पंचायत ने कृपाविस को यह योजना तैयार करने में मदद करने के लिए निवेदन किया है।

सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों पर संगोष्ठी

विश्व के विभिन्न हिस्सों में सदियों से समुदायों ने ओरण/ देवबणी, चारागाह तथा जल निकायों को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में सामुदायिक सहयोग तथा उत्साहवर्द्धन द्वारा उक्त के संरक्षण के कई बेहतरीन उदाहरण आज भी उपलब्ध है। सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों से जुडे मुद्दों पर बेहतर हस्तक्षेप क्षमताओं की रूपरेखा बनाने के लिए शोधकर्ता, गैर सरकारी संस्थाएं, कार्यशाला तथा समुदाय सदस्य 24–26 अक्टूबर 2009 को जयपुर में एकत्रित हुए। यह कार्यशाला कल्पवृक्ष, इकोलोजिकल सीक्योरिटिज गुजरात, परती भूमि विकास नई दिल्ली, कृषि एवं पारिस्थिकी विकास संस्थान (कृपाविस) एवं सेन्टर फॉर सॉशल इकोलोजी, राजस्थान द्वारा आयोजित की गई। इन सभी संस्थाओं का सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों से जुडे मुद्दों पर लम्बे समय से जुडाव भी रहा है और प्रतिबद्धता भी है।

कार्यशाला में विभिन्न समुदायों की भिन्न–भिन्न अनुभवों की कई केस स्टडीज, विशेष अध्ययन प्रस्तुत की गई। इनमें अलवर के ओरणों पर अमन सिंह ने विस्तृत प्रस्तुती दी। दक्षिणी राजस्थान वन, डांग–गुजरात क्षेत्र एवं पश्चिमी राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्रों के अध्ययन सम्मिलित थे। यह बताया गया कि समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं तथा संस्थागत वातावरण बदल गया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में स्थानीय समुदायों की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इससे संरक्षण को अधिक मदद नहीं मिलेगी और ना ही यह संरक्षण सतत हो पायेगा। इस सम्बन्ध में कानून और अधिनियमितियों के संभावित भूमिका के सारे आयामों को तलाशना जरूरी है। स्थानीय समुदायों को मजबूत करने के लिए विशेष तौर पर वन अधिकार अधिनियम की महत्त्वता पर विस्तार से चर्चा की गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संभावनाओं को खोला गया जो यह प्रावधान मुहैया कराता है कि स्थानीय सामुदायिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है। तथापि यह स्पष्टरूप से मान्यता प्राप्त है कि अधिनियम सिर्फ कागज पर पर्यावरण विनाश को रोक नहीं सकते बल्कि इसे सामुदायिक सहायता/ समर्थन की भी आवश्यकता है। सामुदायिक पहलूओं का समुचित प्रलेखन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में पहचाना गया है। यह भी पहचाना गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं तथा समुदायों के अनुभवों को बांटना भी जरूरी है। सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों में खनन एक आम चिंता का विषय है।

कार्यशाला के अन्तिम दिन सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र 'ओरण' के अवलोकन हेतु कृपाविस में विजिट आयोजित किया गया। जिसमें श्री आशिष कोठारी, डा. नीमा पाठक, श्री शुभु पटवा, सुश्री रेशमा जाथल जैसे: महानुभावों ने भाग लेकर विभिन्न ओरणों का भ्रमण किया तथा समुदायों के साथ बैठक की।

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस), बख्तपुरा, अलवर (राज०) द्वारा जनहित में प्रसारित।
इस पत्रिका के लिए सहयोग 'भारतीय बाजरा नेटवर्क/ डी.डी.एस.' से प्राप्त।
मुद्रक: जय बाबा प्रिन्टर्स, स्टेशन रोड़, अलवर। लेआउट सहायक : बनवारी लाल कोली